समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Saturday, 26 September 2026

पेशंनधारकों के लिए राहत : अब फेस ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करे ं

Publisher

Published on 19 Sep 2025

पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को अपनाकर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बना दिया है। इस तकनीक के माध्यम से पेंशनधारक अपने घर बैठे ही अपने चेहरे के स्कैन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र उत्पन्न कर सकते हैं।

जीवन प्रमाण पत्र क्या है ?

जीवन प्रमाण पत्र एक डिजिटल प्रमाण पत्र है, जिसे पेंशनधारकों को अपनी जीवितता प्रमाणित करने के लिए जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र पेंशन प्राप्ति की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पहले यह प्रक्रिया बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से होती थी, लेकिन अब फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से यह और भी सरल हो गई है।

फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करे ?

1. **आवश्यक ऐप्स डाउनलोड करे**: सबसे पहले, पेंशनधारकों को अपने स्मार्टफोन पर UIDAI की Aadhaar Face RD ऐप और Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करनी होगी। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं।
2. **ऑपरेटर प्रमाणीकरण**: Jeevan Pramaan ऐप खोलने के बाद, ऑपरेटर प्रमाणीकरण पृष्ठ पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें। इसके बाद, OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
3. **चेहरे का स्कैन**: सत्यापन के बाद, ऐप आपके चेहरे का स्कैन करेगा। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे के घेरे में हो और आप पलकें झपकाएं।

4. **पेशंनधारक प्रमाणीकरण**: इसके बाद, पेंशनधारक के विवरण जैसे नाम, पेंशन प्रकार, PPO नंबर, पेंशन खाता नंबर आदि दर्ज करें।
5. **अंतिम सत्यापन**: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, एक अंतिम बार चेहरे का स्कैन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उत्पन्न होगा।
6. **प्रमाण पत्र डाउनलोड करे**:ं अंतिम सत्यापन के बाद, पेंशनधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिस पर क्लिक करके जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

पेशंन वितरण एजेंसियों के लिए निर्देश

पेंशन वितरण एजेंसियों जैसे बैंक और डाकघर को पेंशनधारकों के आधार नंबर को उनके पेंशन खाते से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे पेंशनधारकों की पहचान सुनिश्चित होती है और जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आती।

सुरक्षा उपाय

सरकार ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से पेंशनधारकों की पहचान सुनिश्चित की जाती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। इसके अलावा, पेंशनधारकों को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी जैसे OTP या बैंक विवरण फोन या ईमेल के माध्यम से साझा करने से बचने की सलाह दी जाती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

पेंशनधारकों को हर वर्ष 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। विशेष रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। यदि यह प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है।

फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाकर सरकार ने पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल न केवल पेंशनधारकों के लिए सुविधा प्रदान करती है, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.